कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांकः– एफ–6 ( ) आ.राज.(सा.प्र.)/जननि/11/ 854 दिनांकः– 31-3-11

मैसर्स सिम्फनी रियल मार्ट प्रा.लि.
278, गोम्स डिफेन्स कॉलोनी,
वैशाली मार्ग, वैशाली नगर,
जयपुर।

विषय :– निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किये जाने वाले विज्ञापन का शुल्क वसूली वर्ष 2011–12 की 1/4 राशि जरिये नगद/डी.डी. व 3/4 राशि की बैंक गारन्टी दिनांक 15.03.11 तक जमा नहीं कराने पर संविदा की शर्तों का उल्लंघन होने पर विज्ञापन शुल्क वसूली दिनांक 01.04.11 से रोकने बाबत।

संदर्भ :– आपका पत्र दिनांक 11.03.11 .

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको दिनांक 07.04.10 द्वारा मोतीडूंगरी जोन, सांगानेर जोन, मानसरोवर जोन, सिविल लाईन जोन, विद्याधर नगर जोन, आमेर जोन व हवामहल (पूर्व) जोन का विज्ञापन शुल्क वसूली का अनुज्ञापत्र वर्ष 2010–11 के लिये जारी किया गया था। उक्त अनुज्ञापत्र में निगम द्वारा नीलामी की शर्तें व अनुबन्ध को इस अनुज्ञापत्र का भाग माना गया था। उक्त अनुज्ञापत्र की अवधि दिनांक 31.03.11 को समाप्त हो चुकी है।

अनुबन्ध पत्र की शर्त सं. 1 व 4.2 के अनुसार वर्ष 2011–12 हेतु 20% वृद्धि के साथ 1/4 ठेका राशि नगद या डी.डी. के द्वारा एवं शेष 3/4 राशि की बैंक गारन्टी आप द्वारा दिनांक 15.03.11 से पूर्व निगम कार्यालय में जमा कराया जाना था किंतु आप द्वारा शर्त सं. 1 व 4.2 की पालना नहीं की एवं उक्तानुसार राशि व बैंक गारन्टी आज तक जमा नहीं कराई। आपका पत्र दिनांक 11.03.11 निविदा शर्तों व अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत होने के कारण स्वीकार नहीं है।

अतएव आप द्वारा अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं की गई है जिससे आपके पार्ट पर Breach of contract हो चुका है। ऐसी सूरत में आप तत्काल प्रभाव से दिनांक 01.04.11 से नगर निगम क्षेत्र में उक्तानुसार विज्ञापन शुल्क वसूली का कार्य बन्द कर दें। Breach of contract के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही पृथक से अमल में लाई जावेगी।

सूचित रहे।

आयुक्त (राजस्व)
जयपुर नगर निगम

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, महापौर/उपमहापौर, नगर निगम जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, नगर निगम जयपुर।
3. समस्त जोन आयुक्त, नगर निगम जयपुर।
4. आयुक्त (मुख्यालय)/आयुक्त (सतर्कता)/निदेशक (विधि)/मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम जयपुर।
5. राजस्व अधिकारी (होर्डिंग), नगर निगम जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को प्रेस नोट हेतु।
7. प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावे।

31/3

आयुक्त (राजस्व)
जयपुर नगर निगम

Desktop/prakash Bha/Bha Lett